कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
जलभवन, बाणगंगा,भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 260 / विधि पीए / स्था. / प्रअ. / लो.स्वा.यां.वि / 2025 भोपाल,दिनांक 30/6/2025

स्पीकिंग आदेश

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन क्रमांक 35057 / 2024 (सुरेश कुशवाह एवं 02 अन्य बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2024 के परिपालन में याचिकाकर्ता स्थायी कर्मी कर्मचारी क्रमशः श्री सुरेश कुशवाह (हेल्पर),श्री श्यामलाल यादव, (हेल्पर) एवं श्री शेख सईद (वाहन चालक) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड बुरहानपुर को देय स्वत्वों का निर्धारण किया जा रहा है।

(1) याचिकाकर्ता श्री सुरेश कुशवाह एवं 02 अन्य स्थायी कर्मी कर्मचारियों व्दारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष दिनांक 08.11.2024 को रिट पिटीशन क्रमांक 35057 / 2024 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थीः–

> 7.1 Issue a writ of Mandamus commanding the respondents to produce the entire service records in the interest of justice.
>
> 7.2 Issue a writ of Mandamus commanding the respondents to pay the revision of minimum pay scale as er VIIth Pay Commission/M.P. Revision of Pay Rules 2017 as revised pay scale of Rs. 4400+1300 Grade Pay in Level I as pay matrix imdex 2.37 w.e.f. 01.01.2016, in the interest of justice.
>
> 7.3 Issue a writ of Mandamus directing the respondents to make payment of increasedminimum pay scale to the petitioners from date 01.01.2016 of the post occupied by the petitioners and also pay the dues of the amount of the revised pay scale along with interest.
>
> 7.4 Issue any other relief/order or directions, as this Hon'ble High Court deems fit and proper.

(2) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर व्दारा उक्त रिट याचिका पर दिनांक 20.11.2024 को निर्णय पारित किया गया है, जो निम्नानुसार हैः–

> In view of the aforesaid, this petition stands allowed with a direction to the respondents to grant minimum of the pay scale with no increment to the petitioners from the date of their classification. The exercise of grantingthe benefit be concluded within a period of three months from the date of receipt of the certified copy of this

order. The petitioner shall also be entitled for arrears of salary by taking into account his classification which was done on 01.09.2016.

Petition accordingly stands allowed and disposed of.

(3) याचिकाकर्ता श्री सुरेश कुशवाह एवं 02 अन्य स्थायी कर्मी कर्मचारियों व्दारा दिनांक 26.06.2024 को निम्नानुसार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया थाः–

प्रति,

श्रीमान प्रमुख अभियंता महोदय
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा भोपाल

द्वारा :–उचित माध्यम ।
विषय :–वार्षिक वेतनवृद्धि / सातवां वेतनमान स्वीकृत करने बावत।

00

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हम प्रार्थीगण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड बुरहानपुर में निम्न तालिका के कॉलम कमांक 04 में उल्लेखित दिनांक से कार्यरत रहते हुये शासकीय कार्य सम्पादित कर रहे है। शासन द्वारा हमें दिनांक 01.09.2016 से "स्थायीकर्मी" का लाभ दिया जाकर वेतनमान स्वीकृत किया गया था।

क.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति दिनांक	दिनांक 01.09.2016 से दिया गया वेतनमान	दिनांक 01.09.2016 से वेतन	रिमार्क
1	श्री शेख सईद शेख शफी	वाहन चालक	01.07.1989	5000–100–8000	7900+ डीए	
2	श्री श्यामलाल यादव	हेल्पर	01.05.1989	4000–80–7000	6160+ डीए	
3	श्री सुरेश रामसिंग	हेल्पर	01.04.1987	4000–80–7000	6240+ डीए	

निवेदन है कि शासन द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत नियमित / कार्यभारित / संविदा कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। अतः कृपया हमारे द्वारा की गई सेवा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में आपके स्तर से आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन है।

(5) रिट याचिका क्रमांक 35057/2024 (सुरेश कुशवाह एवं 02 अन्य बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2024 के परिपालन में याचिकाकर्तागण कर्मचारियों के दावों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

(i)माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर व्दारा रिट याचिका पर दिनांक 20.11.2024 को पारित किये गए निर्णय में आदेश दिए गए है कि याचिकाकर्ताओं को उनके वर्गीकरण की तिथि दिनांक 01.09.2016 से बिना किसी वेतन वृद्धि के न्यूनतम वेतनमान प्रदान किया जावे तथा उन्हें वेतन के बकाए भी भुगतान किये जावे ।

(ii)मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के माध्यम से सभी विभागों में दिनांक 16 मई 2007 को कार्यरत एवं दिनांक 01 सितम्बर 2016 को भी कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को औद्योगिक श्रमिक मानते हुए उन्हें ''म.प्र. औद्योगिक नियोजन (मानक स्थायी आज्ञायें) अधिनियम 1961 नियम 1963" के अंतर्गत लाया गया है तथा उनके लिए **कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये ''स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना''** जारी की गयी है, जिसमें नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्थायीकर्मी की श्रेणी देते हुए उन्हें, श्रमायुक्त द्वारा न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण हेतु निर्धारित की गयी श्रमिक श्रेणियों क्रमशः अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल श्रेणी में स्थायी घोषित करते हुए, श्रेणीवार वेतनमान स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये गये है। वेतनमान निम्नानुसार है :-

अकुशल श्रेणी	4000-80-7000
अर्द्धकुशल श्रेणी	4500-90-7500
कुशल श्रेणी	5000-100-8000

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 07.10.2016 द्वारा जारी की गयी योजना को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मे लागू करने हेतु शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ 6-102/2016/1/34 भोपाल दिनांक 24.12.2016 एवं प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक 10287/प्र.अ./स्था./अराज./लोस्वायांवि./2016 भोपाल दिनांक 31.12.2016 के माध्यम से पूरक निर्देश जारी किये गये है। इन आदेशों के अनुक्रम में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड बुरहानपुर द्वारा उनके अधिनस्थ कार्यरत याचिकाकर्तागण क्रमशः श्री श्यामलाल यादव (दैनिक वेतन भोगी हेल्पर) को कार्यालयीन

आदेश क्रमांक 09 /स्था /लो स्वा यां विभाग /2017 दिनांक 13.01.2017 एवं श्री सुरेश कुशवाह (दैनिक वेतन भोगी हेल्पर) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 10/स्था /लो स्वा यां विभाग /2017 दिनांक 13.01.2017 के माध्यम से अकुशल श्रेणी में तथा श्री शेख़ सईद (दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 35/स्था /लो स्वा यां विभाग /2017 दिनांक 23.05.2017 के माध्यम से कुशल श्रेणी में दिनांक 01.09.2016 से स्थायी घोषित किया गया था।

चूँकि इस योजना में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को विभाग की नियमित अथवा कार्यभारित स्थापना में निर्मित/स्वीकृत, किसी स्थायी पद पर स्थायी वर्गीकृत नहीं किया गया है बल्कि श्रमिक श्रेणियों {अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल} पर स्थाई घोषित किया गया है इसलिये इस भांति स्थायी घोषित किये गए दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों {रामनरेश रावत बनाम अश्विनी राय एवं अन्य (2017) 3 एस.सी.सी. 436 एवं रिट याचिका क्रमांक 12210/2017 (चन्द्रभूषण प्रसाद द्विवेदी बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2017} के अनुसरण में स्थायी वर्गीकरण के दिनांक से किसी भी स्थायी पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन पाने की पात्रता नहीं आती है बल्कि विभागों द्वारा उन्हें जिस श्रेणी में स्थायी घोषित किया गया है, उस श्रेणी हेतु मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा निर्धारित वेतनमान पाने की पात्रता आती है।

म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 07.10.2016 को जारी की गयी स्थायी कर्मी योजना के अंतर्गत स्थायी घोषित किये गये दैनिक वेतन भोगी श्रमिको के लिये ना केवल वेतन वृद्धि सहित वेतनमान घोषित किये गये है बल्कि योजना में उनके संपूर्ण सेवाकाल के प्रत्येक वर्ष के लिये एक वेतन वृद्धि का लाभ दिये जाने के प्रावधान भी निहित है ।

लेख है कि याचिकाकर्ताओं को उक्तानुसार स्थायी घोषित श्रमिक श्रेणी का वेतन उन्हें स्थायी घोषित किये जाने के दिनांक 01.09.2016 से ही निरंतर प्राप्त हो रहा है । म.प्र.शासन द्वारा अकुशल/अर्द्धकुशल / कुशल श्रेणी के वेतनमान वर्ष 2016 में ही बनाये गये है तथा इन वेतनमानों का पुनरीक्षण शासन के समक्ष विचाराधीन है । जब भी शासन द्वारा वेतनमानों का पुनरीक्षण किया जावेगा, याचिकाकर्ता कर्मचारियों को इसका लाभ स्वतः प्राप्त होगा।

उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता कर्मचारियों को दिनांक 01.09.2016 से स्थायी घोषित करने संबंधी आदेशों के विरूद्ध उन्हें किसी भी तरह की एरियर राशि का भुगतान किया जाना शेष नहीं है।

(iii) याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन दिनांक 26.06.2024 को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा निम्न प्रकृति से स्थायी वर्गीकृत होने वाले श्रमिको को प्राप्त होने वाले लाभ चाहे गये हैं:–

(अ) माननीय श्रम न्यायालय द्वारा सभी कार्य परिस्थितियों के विश्लेषण उपरान्त पारित किये गये न्यायालयीन निर्णयों के अनुपालन में स्थायी वर्गीकृत किये गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी।

(ब) मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाये) अधिनियम 1961,नियम 1963 के अनुपालन में प्रशासकीय आदेश के माध्यम से स्थायी वर्गीकृत किये गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी।

इस संबंध में याचिकाकर्ताओं को यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके संबध में ऊपर उल्लेखित प्रकृति का कोई भी आदेश अस्तित्व में नही है। **''राम नरेश रावत''** प्रकरण में नियमित पद के न्यूनतम वेतनमान का लाभ मात्र विधिक रूप से स्थायी वर्गीकृत किये गये कर्मचारियों को ही देने के आदेश दिये गये है। उपरोक्नुसार उनको कार्यभारित स्थापना के हेल्पर तथा वाहन चालक पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान एवं उक्तानुसार एरियर राशि पाने की पात्रता नहीं आती है।

वास्तव में याचिकाकर्ताओं का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बुरहानपुर के अधीनस्थ दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप मे नियोजन पूर्णतः अवैधानिक था । विभागीय तौर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनकी नियुक्ति में किसी प्रकार के नियम/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उनकी नियुक्ति के संबंध में किसी वैद्यानिक प्रक्रिया के अपनाये जाने का कोई प्रमाण नहीं है ना ही इनकी नियुक्ति से संबंधित कोई विधिवत् आदेश जारी हुआ है । विभाग में दैनिक वेतनभोगी श्रमिक (स्थायी वर्गीकृत या अन्यथा) के कोई पद स्वीकृत नहीं है तथा पूर्व में भी स्वीकृत नहीं थे। याचिकाकर्ताओं को स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया गया था । संबंधित नियोजकों को दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की नियुक्ति के अधिकार नहीं थे। उन्हें बिना किसी भर्ती नियम के अथवा किसी भर्ती प्रकिया के तथा बिना किसी शैक्षणिक अर्हता, बिना रिक्त पद और बिना नियुक्ति आदेश के नियोजित किया गया था। यदि उनका नियोजन ''म.प्र.औद्योगिक नियोजन (स्थाई आज्ञायें) अधिनियम 1961 एवं नियम 1963 के अंतर्गत भी विचारित किया जाता है तो भी यह पाया जाता है कि Standard Standing Orders के अंतर्गत औद्योगिक श्रमिकों की नियुक्ति के संबंध में नियत प्रावधानों, जिनका उल्लेख Clause-4 एवं 4-A में है, का पालन नहीं किया गया है, जो निम्नानुसार है –

4: Recruitment. — The manager may after consulting the Employment Exchange lay down the procedure for recruitment of employees and notify it on the notice board on, which standing orders are exhibited.
4-A. Letter of appointment. — Every employee shall be given a letter of appointment, in which among other things, his name, age, qualification, designation, classification: pay-scale, allowance, nature of job, name of department etc., shall be indicated.

(iii) याचिकाकर्ताओं द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड बुरहानपुर के समक्ष प्रस्तुत किये गये शपथ/सहमति पत्र दिनांक 13.01.2017 के माध्यम से संपूर्ण जानकारी उपरांत इस योजना को स्वेच्छा से चुना गया था तथा उक्त योजना से प्राप्त होने वाले स्वत्वों को पूर्णतः स्वीकार किया गया था। उक्त शपथ पत्र के आधार पर उन्हें दिनांक 01.09.2016 से निरंतर रूप से अकुशल/कुशल श्रेणी का वेतनमान वेतनवृद्धियों सहित भुगतान किया जा रहा है। उनके द्वारा योजना प्राप्त कर लेने के लगभग 08 वर्षो के पश्चात इस प्रकृति का प्रकरण दायर करना औचित्यहीन है।

(6)— यद्यपि याचिकाकर्ता कर्मचारियों के दावें को मेरिट के आधार पर निराकृत किया गया है तथापि यदि उनके दावे के आधारों में किसी भी तरह की मेरिट होती तो भी उसके द्वारा प्रस्तुत इतनी लम्बी अवधि की वेतन एरियर राशि का दावा परिसीमा अधिनियम 1963 में निहित प्रावधानों के अनुसार भी अमान्य किये जाने योग्य होता क्योंकि कानून में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्ष 2024 में दायर रिट याचिका पर तीन वर्ष से पहले की अवधि यानि वर्ष 2021 से पहले पहले की अवधि के बकाया वेतन के लिए दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है । विवरण निम्नानुसार है —

(i)माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ''एम.आर.गुप्ता बनाम भारत संघ {(1995) 5 SCC 628}, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 5151-5152/2008 ''भारत संघ एवं अन्य बनाम तरसेम सिंह'' में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2008 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 4349/2023, ''धरम पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एव अन्य'' में पारित निर्णय दिनांक 11 जुलाई 2023,सिविल अपील क्रमांक 4134 /2022 ''रूसीभाई जगदीशचंद्र पाठक बनाम भावनगर म्युनिसपल कारपोरेशन'' में पारित निर्णय दिनांक 18 मई 2022,माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 10251 /2014 ''असगर इब्राहिम अमीन बनाम जीवन बीमा निगम'' में पारित निर्णय दिनांक 12 अक्टूबर 2015 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 3156 /2007 'मध्य

प्रदेश शासन एवं अन्य बनाम योगेन्द्र श्रीवास्तव'' में पारित निर्णय दिनांक 07 अक्टूबर 2009 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि त्रुटिपूर्ण वेतन के प्रकरणों में कॉज ऑफ एक्शन सेवा में रहने के दौरान कभी भी उत्पन्न हो सकता है तथा यदि दावा मेरिट के आधार पर सही पाया जाता है तो तत्समय के वेतन का समय–समय पर संशोधित रूप में काल्पनिक निर्धारण किया जाएगा तथा पूर्व के वेतन एरियर के भुगतान के मामले में लिमिटेशन का प्रश्न उत्पन्न होगा तथा लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार एरियर राशि की पात्रता अवधि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करने के दिनांक से 03 वर्ष पूर्व तक की अभिनिर्धारित की गई है।

(ii) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन कमांक 8014/2022 (सुरेश कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम म. प्र शासन एवं अन्य)में पारित निर्णय दिनांक 11अप्रैल 2022, रिट पिटीशन कमांक 13892/2022में पारित निर्णय दिनांक 24 जून 2022 (ह्दय राम यादव एवं अन्य बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) एवं रिट पिटीशन कमांक 4802/2023 (श्रीनिवास मिश्रा बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 01 मार्च 2023,रिट पिटीशन क 11036/2021 (नारायण प्रसाद पांडेय विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 16 जुलाई 2021, रिट अपील क 808/2021 (नारायण प्रसाद पांडेय विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 16 सितम्बर 2021, रिव्यु पिटीशन क. 343/2024 (म. प्र शासन एवं अन्य विरुद्ध गंगा प्रसाद दुबे) में पारित निर्णय दिनांक 15 अप्रैल 2024, रिट पिटीशन क. 660/2021 (मुल्लूराम प्रजापति विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 06 मई 2022, रिट पिटीशन क. 20847/2018 (हरिलाल सेन विरुद्ध म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10 अगस्त 2021 एवंरिट पिटीशन कमांक 17459/2023 (चंद शेखर चौरे बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 24 जुलाई 2023 में लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार एरियर्स राशि की पात्रता अवधि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करने के दिनांक से 03 वर्ष पूर्व तक की अभिनिर्धारित की गई है।

(7) उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता स्थायी कर्मी कर्मचारी कमशः श्री सुरेश कुशवाह (हेल्पर), श्री श्यामलाल यादव, (हेल्पर) एवं श्री शेख सईद (वाहन चालक) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड बुरहानपुर को रिट याचिका कमांक 35057/2024 में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2024 के अनुपालन में ऊपर उल्लेखित तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कार्यालयीन आदेश दिनांक 13.01.2017 एव दिनांक 23.05.2017 के माध्यम से अकुशल/कुशल श्रेणी में दिनांक 01.09.2016 से स्थायी घोषित किये जाने के फलस्वरूप ना तो उनके वर्तमान वेतन को सुधारे जाने की आवश्यकता है और ना ही उन्हें किसी तरह की एरियर राशि का भुगतान किया जाना शेष है । उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ताओं के दावों का अंतिम निराकरण किया जाता है।

(8) यदि याचिकाकर्ता इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये इस आदेश से असंतुष्ट हो तो, आदेश के विरूद्ध अपनी अपील, प्रमुख सचिव वल्लभ भवन भोपाल के समक्ष अधिकतम 02 माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

प्रमुख अभियंता

पृ. क्रमांक 5419 **/प्र.अ.(विधि)पीए/लोस्वायांवि./2025** **भोपाल, दिनांक** 30/06/2025

प्रतिलिपि :–

1– उप सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,परिक्षेत्र इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3– अधीक्षण यंत्री (प्रशा) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,जल भवन भोपाल की और सूचनार्थ प्रेषित ।

4– अधीक्षण यंत्री, लोक स्वा.यां.विभाग मंडल खरगौन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

5– कार्यपालन यंत्री, लोक स्वा.यां.विभाग खंड बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

6– संबंधित श्री ————————————————(स्थायी कर्मी) कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड बुरहानपुर की ओर आवश्यककार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रमुख अभियंता